ई-मेल

आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–93/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)11–12 दिनांक 19 सितम्बर–2011

विषयः इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राविधानित धनराशि में से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–1603/38–4–11–19–बजट/2011, दिनांक 15–9–2011 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 के अधीन इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से वर्ष 2010–11 में शार्टफाल राज्यांश की धनराशि रू0 4828.26 लाख (रूपये अड़तालिस करोड़ अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि इस वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की शार्टफाल धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहू जी महराजनगर को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस जनपद की धनराशि इसके पैतृक जनपदों रायबरेली व सुल्तानपुर को आवंटित की जा रही है। उक्त सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

4– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 15–09–2011 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

6– आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा0–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–186 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
19/9/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः—जीओ—93/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य) 2011—12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4— सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5— संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7— समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
8— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/ राज्य योजना आयोग—2 नियोजन अनुभाग—4
9— ग्राम्य विकास अनुभाग—3
10— विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग—4 को उनके पत्र संख्या—1603/ 38—4—11—19—बजट/2011, दिनांक 15—9—2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Ram Prasad_Iay2011-12.doc

पत्र संख्या–जीओ–92/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2011–12, दिनांक–19 सितम्बर 2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत शार्टफाल राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	0.00	0.00
3	BULANDSHAHAR	0.63	50.33
4	G.B. NAGAR*	0.00	0.00
5	BAGPAT	0.00	0.00
6	SAHARANPUR	106.07	175.97
7	MUZAFARNAGAR	0.00	54.97
8	MORADABAD	115.05	190.86
9	BIJNOR	41.842	116.932
10	RAMPUR	4.09	48.02
11	J.B.F. NAGAR	0.00	22.45
12	BAREILLY	0.00	57.30
13	BADAUN	50.646	133.216
14	SHAHJAHANPUR	133.83	222.02
15	PILIBHIT	29.02	103.74
16	AGRA	1.32	49.79
17	MAINPURI*	0.00	33.19
18	MATHURA	0.00	29.43
19	FIROZABAD	0.00	0.00
20	ALIGARH	0.00	0.00
21	ETAH	0.00	29.97
22	KANSHIRAM NAGAR	0.00	23.15
23	HATHRAS	0.00	0.00
24	JHANSI	98.10	116.84
25	JALAUN	78.79	99.99
26	LALITPUR	6.15	21.64
27	BANDA	0.00	18.65
28	HAMIRPUR	46.39	58.87
29	MAHOBA	35.13	44.59
30	CHITRAKUT	0.01	11.40
31	ALLAHABAD	111.24	184.55
32	FATEHPUR	98.43	163.30
33	PRATAPGARH	106.02	177.54
34	KAUSHAMBHI	2.37	42.09
35	KANPUR NAGAR	0.00	51.29
36	KANPUR DEHAT	0.00	50.00
37	ETAWAH	5.16	40.31
38	FARRUKHABAD	0.00	41.66

पत्र संख्या–जीओ–९३/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2011–12, दिनांक–19 सितम्बर 2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत शार्टफाल राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
39	KANNAUJ	0.00	30.95
40	ORRAIYA	2.15	36.76
41	VARANASI	1.06	41.11
42	GHAZIPUR	109.69	181.97
43	JAUNPUR	211.97	351.65
44	CHANDAULI	0.79	34.49
45	MIRZAPUR	0.00	46.66
46	SONBHADRA	9.01	43.82
47	S. R. NAGAR	0.00	28.40
48	LUCKNOW	8.916	63.716
49	SITAPUR	272.37	451.85
50	UNNAO	150.88	250.30
51	HARDOI	159.35	264.36
52	KHERI	453.21	751.86
53	RAE BARELI	138.08	229.07
54	GORAKHPUR	210.35	348.96
55	DEORIA	229.11	380.09
56	KUSHINAGAR	685.61	1162.34
57	MAHRAJGANJ	190.40	315.87
58	BASTI	2.178	84.678
59	SIDHARTHNAGAR	0.00	52.17
60	S.K.NAGAR	0.00	50.38
61	AZAMGARH	161.37	267.71
62	MAU	0.00	40.37
63	BALLIA	6.24	163.66
64	FAIZABAD	77.321	131.721
65	BARABANKI	204.61	339.44
66	SULTANPUR	121.81	202.08
67	AMBEDKARNAGAR	0.00	45.77
68	GONDA	234.38	388.83
69	BAHRAICH	3.97	175.91
70	BALRAMPUR	113.15	187.71
71	SHRAWASTI	0.00	60.05
	STATE TOTAL	4828.26	9668.76

(रू0 अड़तालिस करोड़ अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

G093/सम्प्रेक्षा/11
15/9/11

संख्या–1603/38–4–11–19बजट/11

प्रेषक,

एन0 एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–15 सितम्बर,,2011

विषयः–इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2011–12 में प्राविधानित धनराशि में से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी0ओ0–87/सम्प्रेक्षा/2011–12, दिनांक–25अगस्त, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **इन्दिरा आवास** योजना के कार्यान्वयन हेतु सामान्य मद के अनुदान संख्या–13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्याश की शार्टफाल की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2011–12 में प्राविधानित धनराशि में से आवास निर्माण के शार्टफाल की धनराशि रू0–4828.26 लाख की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा तथा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुपात में ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

6– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

7— तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अधीन लेखा शीर्षक—2505—ग्राम रोजगार—01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—702—जवाहर ग्राम समृद्धि योजना—01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—05—इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0—75/रा—25—रा0)—27—सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

9— यह आदेश वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—2 के अशासकीय पंत्र संख्या—ई—2—650 /दस—2011 दिनांक— 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

15-9-2011

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1603(1)/38—4—10 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संवंधित जनपद के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—2
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग—2/नियोजन अनुभाग—4
10. ग्राम्य विकास अनुभाग—3/7
11. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकरी

संख्या–1603/38–4–11–19बजट/11

प्रेषक,

एन0 एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–15 सितम्बर,,2011

विषयः–इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2011–12 में प्राविधानित धनराशि में से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी0ओ0–87/सम्प्रेक्षा/2011–12, दिनांक–25अगस्त, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **इन्दिरा आवास** योजना के कार्यान्वयन हेतु सामान्य मद के अनुदान संख्या–13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्याश की शार्टफाल की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2011–12 में प्राविधानित धनराशि में से आवास निर्माण के शार्टफाल की धनराशि रू0–4828.26 लाख की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा तथा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुपात में ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

6– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/

7– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्वि योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

9– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशासकीय पंत्र संख्या–ई–2–650/दस–2011 दिनांक– 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1603(1)/38–4–10 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संवंधित जनपद के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
10. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
11. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी